भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *80

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना

*80. **श्री दामोदर अग्रवाल:**

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए पात्रता संबंधी मानदंड और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 2025 तक छत्तीसगढ़ और शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, पालघर जिला, महाराष्ट्र सहित राज्यवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई और प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के बीच उक्त योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोई पहल की है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राजस्थान के राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, भीम, ब्यावर, जैतारण, मेड़ता शहर और डेगाना में लाभार्थियों के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र के कार्यालय स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क)से (ङ): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *80 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा लोक प्रापण नीति के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से 4% की अधिदेशित खरीद की पूर्ति को सुगम बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे- संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद हेतु संस्थागत वित्त पर विशेष ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी; कौशल एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम; विशेष बाजार सहायता स्कीम के माध्यम से बाजार संपर्क; तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परीक्षण शुल्क, निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता शुल्क और सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टल प्रदान किया जाता है।

एनएसएसएच स्कीम का लाभ उठाने के लिए, उद्यमी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। इसके अलावा, स्वामित्व वाली सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के मामले में, स्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए; साझेदारी वाली एमएसई के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साझेदारों के पास इकाई के कम से कम 51% शेयर होने चाहिए तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में, कम से कम 51% शेयर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्तकों के पास होने चाहिए।

(ख): एनएसएसएच स्कीम के अंतर्गत जून, 2025 तक विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1,45,200 लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में है। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत जून, 2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 44097 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

छत्तीसगढ़ के कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1418 लाभार्थियों ने एनएसएसएच स्कीम का लाभ उठाया है। शहडोल जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 34 लाभार्थियों और पालघर जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 287 लाभार्थियों ने स्कीम के विभिन्न घटकों का लाभ उठाया है।

(ग) और (घ): एनएसएसएच स्कीम के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए, राजस्थान सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। ये कार्यक्रम उन स्थानों/क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अच्छी खासी है। इन आयोजनों में वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उद्योग संघ, सरकारी ई-मार्केट (जेएम), उद्यम पंजीकरण और अन्य सरकारी विभाग/निकाय सहित सभी प्रमुख हितधारक अपनी स्कीमों/पहलों के बारे में जागरूकता सृजन कर हैं तथा प्रतिभागियों को मौके पर ही पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करते हैं।

स्कीम के और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, जिनमें लक्षित दर्शकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। अधिक जागरूकता के लिए सफलता की गाथाओं और स्कीम के दिशानिर्देशों को क्षेत्रीय भाषाओं में साझा किया जाता है।

राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, भीम, ब्यावर, जैतारण, मेड़ता शहर और डेगाना से स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की संख्या निम्नानुसार है:

जिला	**शहर**	**लाभार्थियों की संख्या**
राजसमंद	नाथद्वारा	10
	कुंभलगढ़	
	भीम	
ब्यावर	जैतारण	-
नागौर	डेगाना	310
	मेड़ता	

(ङ): पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए, देश भर में 15 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) क्रियाशील हैं; ये कार्यालय आगरा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, बोधगया, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, पुणे, रांची, सिंधुदुर्ग और सूरत में हैं। कर्नाटक के लिए, एनएसएसएचओ बेंगलुरु एससी/एसटी उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *80 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

जून, 2025 तक एनएसएसएच स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30
2.	आंध्र प्रदेश	2856
3.	अरुणाचल प्रदेश	853
4.	असम	7752
5.	बिहार	2917
6.	चंडीगढ़	104
7.	छत्तीसगढ़	1418
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	32
9.	दिल्ली	3357
10.	गोवा	21
11.	गुजरात	7304
12.	हरियाणा	1702
13.	हिमाचल प्रदेश	1190
14.	जम्मू एवं कश्मीर	227
15.	झारखंड	7644
16.	कर्नाटक	11786
17.	केरल	780
18.	लद्दाख	8
19.	लक्षद्वीप	2
20.	मध्य प्रदेश	5068
21.	महाराष्ट्र	20569
22.	मणिपुर	963
23.	मेघालय	771
24.	मिजोरम	513
25.	नागालैंड	1686
26.	ओडिशा	6170
27.	पुदुचेरी	213
28.	पंजाब	5447
29.	राजस्थान	3417

30.	सिक्किम	157
31.	तमिलनाडु	11747
32.	तेलंगाना	6317
33.	त्रिपुरा	644
34.	उत्तर प्रदेश	22547
35.	उत्तराखंड	1132
36.	पश्चिम बंगाल	7856
	सकल योग	**145200**

अनुलग्नक-II

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *80 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

एनएसएसएच स्कीम के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत जून, 2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30
2.	आंध्र प्रदेश	2001
3.	अरुणाचल प्रदेश	315
4.	असम	3697
5.	बिहार	889
6.	चंडीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	1211
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	15
9.	दिल्ली	519
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	2191
12.	हरियाणा	572
13.	हिमाचल प्रदेश	244
14.	जम्मू और कश्मीर	197
15.	झारखंड	1106
16.	कर्नाटक	337
17.	केरल	457
18.	मध्य प्रदेश	3968
19.	महाराष्ट्र	5170
20.	मणिपुर	289
21.	मेघालय	420
22.	मिजोरम	37
23.	नागालैंड	1108
24.	ओडिशा	1320
25.	पुदुचेरी	16
26.	पंजाब	1624
27.	राजस्थान	935
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	1051

30.	तेलंगाना	4271
31.	त्रिपुरा	518
32.	उत्तर प्रदेश	7958
33.	उत्तराखंड	899
34.	पश्चिम बंगाल	725
	सकल योग	**44097**